पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष : 0771-2262501 (डीसीडीसी), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स- 0771-2262818, 2262607
Website: prsu.ac.in; E-mail id: dcdc.ptrsu@gmail.com

क्रमांकः 329 /DCDC/22 रायपुर, दिनांकः 02/03/2022

महाविद्यालय विकास परिषद् की बैठक दिनांक 10.02.2022 का कार्यवृत्त

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अध्यादेश क्रमांक–54 के कण्डिका 4(1) [i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii एवं ix] के तहत् विश्वविद्यालय अधिसूचना कमांक 317/DCDC/22 रायपुर, दिनांक 08.02.2022 के द्वारा महाविद्यालय विकास परिषद् का गठन किया गया।

महाविद्यालय विकास परिषद् के सदस्यों की बैठक दिनांक 10.02.2022 को कोविड–19 की गाईडलाईन्स का पालन करते हुए अपरान्ह् 03:00 बजे कुलपति सचिवालय स्थित बैठक कक्ष में आयोजित की गयी। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. प्रो. के.एल. वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष
2. प्रो. ए.के. गुप्ता, डी.सी.डी.सी. – संयोजक
3. प्रो. गिरिशकांत पाण्डेय – सदस्य
4. प्रो. एस.के. प्रसाद – सदस्य
5. डॉ. मधुलिका अग्रवाल – सदस्य
6. प्रो. व्यास दुबे – सदस्य
7. प्रो. शैल शर्मा – सदस्य
8. डॉ. प्रीति तिवारी – सदस्य
9. डॉ. कुंज बिहारी शर्मा – सदस्य
10. डॉ. सविता चन्द्राकर – सदस्य
11. डॉ. शोभा गावरी – सदस्य
12. डॉ. विवेक कुमार मिश्रा – सदस्य
13. डॉ. नन्दा गुरूवारा – सदस्य
14. डॉ. पी.के. अग्निहोत्री – सदस्य
15. डॉ. अशोक कुमार उपाध्याय – सदस्य
16. श्री भूपेन्द्र कुलदीप – विशेष आमंत्रित

प्रो.. ए.के. गुप्ता, संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् ने सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिवादन करते हुए बैठक आरंभ किया एवं सभी नव मनोनीत सदस्यों से परिचय प्राप्त किया साथ ही पूर्व में आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की बैठक में हुई चर्चा के कार्यवृत्त के मुख्य बिन्दुओं की संक्षेप में जानकारी प्रदान की एवं उस पर कृत कार्यवाही से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया।

प्रो. गुप्ता द्वारा Ordinance-54 के मूल बिन्दुओ तथा महाविद्यालय विकास परिषद् के कार्य एवं शक्तियों पर प्रकाश डाला गया। तत्पश्चात् बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गयीः–

1. GER :– उक्त बिन्दु पर माननीय कुलपति जी ने कहा कि हमें GER (Gross Enrolment Ratio) को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए साथ ही ऐसे विषयों एवं पाठ्यक्रम को लाना चाहिए जो कि रोजगारमूलक हो जिससे कि अधिक से अधिक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के छात्र–छात्राओं का पढ़ाई की ओर रूझान बढ़े।

2. Affiliation/Process of permanent Affiliation :– कुलसचिव जी द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रकाश डाला गया।

   तत्पश्चात विशेष आमंत्रित श्री भूपेन्द्र कुलदीप, उप कुलसचिव अकादमिक के द्वारा स्थायी सम्बद्धता के लिए संशोधित विनियम क्रमांक 129 की कंडिका 5 के अनुसार मानदण्ड को विस्तार से बताया गया।

   महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए विनियम 129 के अनुसार कम से कम पांच वर्ष से संचालित होना चाहिए, भवन, जमीन, पर्याप्त संख्या में शिक्षक/गैर–शैक्षणिक स्टाफ, वेतनमान, विधिवत रूप से गठित कालेज परिषद् आदि होना चाहिए।

3. AISHE :– All India Survey on Higher Education के बारे में प्रो. व्यास दुबे जी ने विस्तार से चर्चा कि साथ ही इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि ये महाविद्यालयों का एक डाटाबेस है जो सीधे उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संकलित की जाती है।

   प्रो. ए.के. गुप्ता जी ने बताया कि इसी डाटाबेस को आधार मानकर अन्य मूल्यांकन बोर्ड या संस्थाएँ जैसे कि यू.जी.सी., नैक आदि महाविद्यालय के द्वारा भरे गए फॉर्म का मिलान करती है। अतः इस पोर्टल पर हमेशा सही एवं उचित जानकारी का भरा जाना आवश्यक है।

4. 2(f)&12(B)/ UGC Grant :– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की योजनाओं एवं अनुदान हेतु महाविद्यालयों का 2(f) एवं 12(b) के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों में से 34 शासकीय एवं 13 अशासकीय महाविद्यालय 2(f) एवं 12(b) के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा 2(f) अन्तर्गत के अंतर्गत 37 शासकीय एवं 18 अशासकीय महाविद्यालय पंजीकृत है।

माननीय कुलपति जी ने कहा कि हमारे 149 सम्बद्ध महाविद्यालयों में से केवल 55 महाविद्यालयों का यू.जी.सी. 2(f) में पंजीयन है जो कि अत्यंत कम है, इस संख्या को बढ़ाया जाना नितांत आवश्य है।

संचालक महाविद्यालय विकास परिषद ने बताया कि ऐसे सभी महाविद्यालय जिनको प्रारंभ हुए 01 वर्ष का समय हो चुका है वो सभी यू.जी.सी. 2(f) में पंजीयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। संचालक महोदय द्वारा बताया गया कि महाविद्यालय विकास परिषद् द्वारा ऐसे सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र प्रेषित किया जा रहा है जिनको प्रारंभ हुए कम से कम 01 वर्ष हो चुका है और उन्होंने अभी तक यू.जी.सी. 2(f) के लिए आवेदन नहीं किया है।

5. NAAC/ NIRF :– कुलसचिव ने कहा कि सभी महाविद्यालयों का NAAC द्वारा प्रत्यायन कराया जाना आवश्यक है। इस कार्य हेतु IIQA एवं SSR को इस वर्ष मिशन मोड पर करने हेतु राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी गया था।

प्रो. गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों में से 18 महाविद्यालयों को NAAC द्वारा ग्रेडिंग प्राप्त है।

NIRF (NATIONAL INSTITUTIONAL RANKING FRAMEWORK) के संबंध में माननीय कुलपति जी एवं संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् द्वारा संक्षेप में जानकारी प्रदान की गयी तथा इसकी आवश्यकता पर बल दिया गया।

6. NEP/IDP/NHEQF :– माननीय कुलपति जी द्वारा नई शिक्षा नीति पर प्रकाश डालते हुए नवीन शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाए जाने पर विचार व्यक्त किया।

कुलपति जी ने बताया कि यू.जी.सी. द्वारा Institutional Development Plan (IDP) के लिए जो गाईडलाईन जारी की है उस संबंध में Public Notice जारी कर सभी से फीडबैक/अभिमत चाहा है।

यू.जी.सी. के NHEQF (National Higher Education Qualifications Framework) के संबंध में माननीय कुलपति जी ने प्रकाश डाला।

7. Teacher Taught Ratio/ Human Resources :– माननीय कुलपति जी ने इस विषय पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत से महाविद्यालयों में चाहें

वो शासकीय हों या अशासकीय सभी जगहों पर अच्छे शिक्षकों की कमी है। जिस अनुपात में छात्र–छात्राओं की संख्या है उस अनुपात में शिक्षक नहीं रखे जा रहे हैं। विशेष तौर पर अशासकीय महाविद्यालयों की दशा और भी गंभीर है जहाँ विषयानुसार योग्यताधारी शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है और न ही अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा पूर्णकालिक प्राचार्य रखा जा रहा है। शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक स्टाफ की कमी है।

8. Infrastructure :– माननीय कुलपति जी एवं कुलसचिव जी ने महाविद्यालयों को निरंतर अपनी अद्योसंरचना विकास पर कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश के अनुसार महाविद्यलायों में Modern Class Room, Girls Common Room, High Tech Lab, E-Library, Special Washroom for Physical Handicapped, Computer Labs with Internet facility, Wi-Fi आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

9. SWAYAM/MOOCs/ICT/e-cesource :– प्रो. गुप्ता द्वारा यू.जी.सी. के SWAYAM Platform एवं MOOCs (Massive Open Online Courses) की जानकारी साझा की।

10. Teaching Methodology During Covid-19 Threat :– माननीय कुलपति जी द्वारा कोविड–19 की गाईडलाईन्स का पालन करते हुए ऑनलाईन शिक्षा प्रदान किए जाने पर जोर दिया। जिसके लिए शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी एवं आवश्यक ट्रेनिंग प्रदान किए जाने का विचार व्यक्त किया। जिससे कि भविष्य में भी यदि को इस प्रकार की आपदा आती है तो शिक्षण कार्य निर्बाधरूप से जारी रह सके।

    इस संबंध में प्रो. गुप्ता द्वारा यू.जी.सी. के पत्र कमांक F.No.1-14/2020 (website) date 25-03-2020 विषय "Let COVID 19 not stop you from learning-ICT initiatives of MHRD and UGC" की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। उक्त पत्र में यू.जी.सी. द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न E-Learning Programs की जानकारी दी गयी है।

कुलसचिव जी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोविड–19 के गाईडलाईन्स का पालन करते हुए ऑनलाईन क्लासेस के द्वारा छात्रों की पढ़ाई करायी जाए। साथ ही प्रत्येक महाविद्यालय अपनी एक वेबसाईट अवश्य बनाए तथा उस पर आवश्यक जानकारी समय–समय पर अपडेट करते रहें जिससे छात्रों को अनावश्यक भटकना ना पड़े।

इस अवसर पर परिषद् के उपस्थित सदस्यों ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, GER वृद्धि एवं महाविद्यालयों की अधोसंरचना, सुविधाओं, शिक्षकों की संख्या में वृद्धि इत्यादि विषय पर अपने विचार एवं अनुभव रखे तथा सकारात्मक सुझाव भी दिए।

प्रो. ए.के. गुप्ता द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के साथ मिलकर शिक्षा के गुणवत्ता विकास में संवर्धन के लिए आवश्यक पहल किए जाने पर जोर दिया गया। माननीय कुलपति जी एवं उपस्थित सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न की गई।

कुलपति
अध्यक्ष

संयोजक/संचालक
महाविद्यालय विकास परिषद्

पृ.कमांकः 330 **/DCDC/22** **रायपुर, दिनांकः** 02/03/**2022**

प्रतिलिपिः–

1. समस्त सदस्य, महाविद्यालय विकास परिषद् को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर छ.ग.
3. उप कुलसचिव (अका.)/उप कुलसचिव (सा.प्रशा.)/अधिष्ठाता छात्र कल्याण, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर
4. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर
5. कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. र.शु. वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ ।

संचालक
महाविद्यालय विकास परिषद्
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर